फर्द अहकाम

चन्दालाल बनाम मांगू

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

[illegible] 09/2025 (प्रा.पत्र धारा 151, 152.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
18/03/25	यह पत्रावली प्रार्थी रामकरण पुत्र नारायण (प्रतिवादी सं. 2/3) की ओर से प्रार्थनापत्र बाबत पत्रावली तलब किए जाने तथा अन्तिम डिक्री के उनवान में टंकणीय त्रुटि दुरुस्त किये जाने के प्रस्तुत किए जाने पर पेश हुई। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर मूलपत्रावली के साथ दिनांक 24/03/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी रामकरण उपस्थित। प्रार्थी की बहस प्रार्थनापत्र धारा 151, 152 बाबत न्यायालय अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.24 के शीर्षक उनवान में प्रार्थी की बहिनों प्रतिवादीगण सं. 2/6, 2/7, 2/8, 3/7 के अंकित नामों को उनके मूलनामो अनुसार दुरुस्त किये जाने तथा प्रार्थी के चचेरे भाईयों प्रतिवादीगण सं. 1/1 व 1/2 के अंकित नामों में अंकित लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त किये जाने पर सुनी गई। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि अन्तिम डिक्री के शीर्षक में प्रतिवादी सं. 1/1 के नाम को मैरूराम के स्थान पर मैरूलाल, प्रतिवादी 1/2 के [illegible] रामेश्वर प्रसाद के स्थान पर [illegible] राठ, प्रतिवादी सं. 3/6 [illegible] कमला देवी के स्थान पर [illegible] अंकित कर दिया गया है। जो दुरुस्तनीय है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं. 2/7 के (हस्ताक्षर)	Ramkaran

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.04.28 16:44:47 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

चन्दालाल बनाम मांगू

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 09/2025 (प्रा.पत्र विविध)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	24/3/25	नाम को गायत्री देवी (मूलनाम) के स्थान पर गोठी देवी (घरेलू नाम), प्रतिवादी सं. 2/8 के नाम को आशा देवी (मूलनाम) के स्थान पर हँसा (घरेलू नाम) तथा प्रतिवादी 3/7 के नाम को मंजू के स्थान पर छोटी (घरेलू नाम) अंकित कर दिया गया है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण 2/7, 2/8 3/7 के पहचान दस्तावेज अनुसार व डिक्री की पालना हेतु कार्यवाही बाबत उक्त नामों का वास्तविक नाम अनुसार संशोधन किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रतिवादीगण सं. 2/6, 2/7, 2/8 के उल्लेखित पते के रूप में अंकित ढाणी राणी ज्याली को ढाणी राठौड़ जी वाली दुरुस्त किया जाना भी उचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपेक्षित संशोधन किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। हमने प्रार्थी को सुना, तथ्यों पर मनन किया व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रस्तुत अभिकथनों व पत्रावली के अवलोकन तथा तथ्यों के समग्र विवेचन के अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 28.06.24 के वादशीर्षक के अन्तर्गत उल्लेखित प्रतिवादीगण जवाबदारान सं. 2/7 के नाम को गायत्री, प्रतिवादी सं. 2/8 के नाम को आशा, प्रतिवादी सं. 3/7 के नाम को मंजू के रूप में तथा प्रतिवादी 1/1 के नाम को भैरूराम, प्रतिवादी 2/6 के नाम को कमला के रूप में दुरुस्त/संशोधित	P.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

चन्दालाल बनाम मांगू

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 09/2025 (प्रा.पत्र विविध)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/3/25	किए जाने का आदेश दिया जाता है तथा साथ ही प्रतिवादी 1/2 रामेश्वर प्रसाद के नाम के सम्मुख अंकित रोड शब्द को विलोपित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। इसके साथ ही प्रतिवादीगण सं. 2/6, 2/7, 2/8 के पते के रूप में अंकित ढाणी राणी ज्याली को ढाणी राठौड़ जी वाली दुरुस्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार न्यायालय हाजा की अंतिम डिक्री दिनांक 28.6.24 में प्रतिवादीगण सं. 1/1, 1/2, 2/6, 2/7, 2/8, 3/7 के नाम व अंकित ढाणी को संशोधन अनुसार पढ़ा जावे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील संलग्न मुसलक हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.04.28 16:44:47 IST
Reason: SelfAttested